1100

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 6–1/2011/एक/9 भोपाल, दिनांक 26/7/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के स्थानांतरित पदाधिकारियों को स्थानांतरण निरस्त न होने पर कार्यमुक्त न करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6–1/2011/1/9 दिनांक 20.4.2011

––0––

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की वर्ष 2011–12 की स्थानांतरण नीति जारी की गई है।

2/ स्थानांतरण नीति की कंडिका–9.22 अनुसार "शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों यथा–अध्यक्ष एवं सचिव/मंत्री को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 3 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। 3 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10–6/05/1–15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी **इसके साथ–साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति मे सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।"**

3/– कतिपय मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से ऐसे प्रकरण सामने आये हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त संगठन के नियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की सूचना 30 अप्रैल के पूर्व उनके कार्यालय, विभाग प्रमुख, जिला कलेक्टर्स तथा सामान्य प्रशासन

...//2//

विभाग (क.क.सं.) को देने के बादजूद अनेक विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा पदाधिकारियों को स्थानांतरित करके कार्यमुक्त किया जा चुका है। यह स्थिति **निर्देशों के अनुरूप नहीं है।**

4/– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 6–1/2005/1/9 दिनांक 29 जुलाई, 2005 की कंडिका–1 में भी यह निर्देश दिए गए थे कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विभाग को सूचना दी जाती है कि उसके द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है एवं अभ्यावेदन की पावती प्रस्तुत की **जाती है और अभ्यावेदन स्थानांतरण नीति के विरूद्ध है या नहीं, परीक्षण करने पर यदि ऐसा आभास होता है कि स्थानांतरण, नीति के विरूद्ध किया गया है तो ऐसे स्थनांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जावेंगे । अतः इस स्थिति में स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखना विभाग के लिए उचित होगा।**

5/– उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन के समस्त विभाग एवं कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित परिपत्र में दिये गये निर्देश तथा राज्य शासन की स्थानांतरण नीति की कंडिका–9.22 में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के किये गये स्थानांतरण जब तक निरस्त नहीं होते हैं, तब तक स्थानांतरण स्थगित रखते हुये उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग